१	२	३	४	५	६
झांसी	ललितपुर	बालाबेहट	पठला	३४	१.०१
				३५/१	१०.२७
				३५/२	१.२०
				३६/२	०.७८
				३७/१	१.१९
				४६/४	८.०६
				४८	२८.६६
				४९	३३.०९
				५०	२४.५०
				योग ..	४७९.११
			कपासी	✓२५१	५००.००
				✓२५४	३.४४
				✓२५५	३.५६
				✓२५६	०.४०
				✓२५७	१२.०२
				✓२५३	७९.०६
				✓२५८	१४३.१४
				✓२०५	१२२.६०
				योग ..	८६३.२२
			कन्ड	१०७४	५१.३०
				१५८८	३७३.७७
				१५९८	३८६.९३
				१६३९	६५.२०
				१६४३	५६.००
				१६४५	६४.०४
				१६४६	०.५६
				१६६७	८३.१९
				योग ..	१०८५.१०
			सिमर्रा	✓११२/१	१८३.१२
				✓४३०	१३६.८५
				✓४३१	३५.५७
				✓४३२	६१८.४४
				✓४३३	२९.६७
				✓४३३	२९.५५
				✓४४२	१.६०
				✓४३४	०.३९
				✓४३५	७.४०
				✓४३६	१.३०
				✓४३७	२४.५०
				✓४३८	०.३५
				✓४३९	१.०४
				✓४४०	[illegible].०६
				✓४४१	[illegible].३०
				योग ..	१०७१.५७

भाग १ | उत्त
१ | २
झांसी | ललि

छाया प्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

अनुसूची

स्थिति और क्षेत्रफल

रमपुरा वन ब्लाक नं० १

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा भूमि नं०	क्षेत्रफल एकड़ों में
झांसी	ललितपुर	बालाबेहट	रमपुरा	४३–भाग	२४.३५
				४६	०.७९
				४८–भाग	०.९७
				योग ..	२६.११

सरहद का विवरण

मुनारा नम्बर	मुनारा की स्थिति	अगले मुनारा की लगभग दिशा	लगभग बियरिंग फारवर्ड	लगभग बियरिंग बैकवर्ड	एक मुनारे से अगले मुनारा की दूरी लगभग जरीबों में	एक मुनारे से अगले मुनारा तक सरहद की आकृति	विशेष विवरण
०	ग्राम झिलगुवां व रमपुरा की सरहद के बन्दोबस्ती मुनारा से मुनारा नम्बर १ को	उ० उ० पू०	१८.००	१९८.००	५.००	सीधी लाइन	
१	खेत नम्बर ४३ के पूर्व	प० उ० प०	२९८.००	११८.००	९.००	"	
२	खेत नम्बर ४३ के उत्तर	प० उ० प०	२९८.००	११८.००	८.००	"	
३	"	उ० प०	३१३.००	१३३.००	५.५०	"	
४	खेत नम्बर ४९ के उत्तर	उ० प०	३२१.००	१४१.००	३.६०	"	
५	खेत नम्बर ४९ के उत्तर–पश्चिम	उ० पू०	४९.००	२२९.००	३.४०	"	
६	खेत नम्बर ४८ के उत्तर	उ० पू०	४९.००	२२९.००	३.८०	"	
७	खेत नम्बर ४६ के दक्षिण	उ० पू०	४९.००	२२९.००	२.००	"	
८	खेत नम्बर ४९ के उत्तर–पूर्व कोने में	द० पू०	१२७.००	३०७.००	३.४०	"	
९	खेत नम्बर ४६ के उत्तर–पूर्व	द० प०	२३२.००	५२.००	३.९०	"	
१०	खेत नम्बर ४५ के दक्षिण	पू० उ० पू०	७२.००	१०८.००	३.४०	"	
११	खेत नं० ४५ के पू०	उ०उ०प०	३४८.००	१६६.००	८.४०	"	
१२	खेत नम्बर ४४ के उत्तर	पू० उ० पू०	७८.००	२५८.००	२.८०	"	
१३	खेत नम्बर ४४ के नाला किनारे	पू० द० पू०	१०८.००	२८८.००	८.८०	नाला किनारे-किनारे	
१४	खेत नम्बर ४३ के उत्तर–पूर्व	द० द० पू०	१६८.००	३४८.००	३.८०	"	
१५	खेत नम्बर ४३ के पूर्व	पू० द० पू०	१२३.००	३०३.००	१०.४०	"	
१६	"	द० पू०	१३५.००	३१५.००	३.००	"	
१७	"	द० प०	२३५.००	५५.००	६.००	"	

छाया प्रति प्रमाणित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

१	२	३	४	५	६	७	८
२	खेत नम्बर ५७ के उत्तर	प० द० प०	२३९.००	५९.००	६.००	सीधी लाइन	
३	खेत नम्बर ५८ के उत्तर-पश्चिम नाला किनारे	उ० उ० प०	३४७.००	१४७.००	९.८०	नाला किनारे-किनारे	
४	खेत नम्बर ४७ के दक्षिण-पश्चिम नाला किनारे	पू० उ० पू०	५७.००	२३७.००	६.२०	"	

रमपुरा ब्लाक नं० ५

जिला का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा भूमि नं०	लगभग क्षेत्रफल एकड़ों में
झाँसी	ललितपुर	बालाबेहट	रमपुरा	४-भाग	१५९.६४
				३८-भाग	३.७७
				३९-भाग	२४.९८
				योग ..	१८८.३९

सरहद का विवरण

मुनारा नम्बर	मुनारा की स्थिति	अगले मुनारा की लगभग दिशा	लगभग बियरिंग फारवर्ड	लगभग बियरिंग बैकवर्ड	एक मुनारा से अगले मुनारा की दूरी लगभग जरीबों में	एक मुनारा से अगले मुनारा तक सरहद की आकृति	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
०	ग्राम कुचदो व रमपुरा की सरहद पर बन्दोबस्ती मुनारा से	पू० उ० पू०	७८.००	२५८.००	११.७०	सीधी लाइन	
१	खेत नम्बर ४ के दक्षिण में	उ० उ० प०	३३३.००	१५३.००	११.८०	"	
२	खेत नम्बर ४ के उत्तर-पश्चिम में	उ० उ० प०	३३३.००	१५३.००	१२.४०	"	
३	"	उ० उ० प०	३३३.००	१५३.००	१२.४०	"	
४	खेत नम्बर ४ के उत्तर-पश्चिम	उ० द० पू०	३०.००	२१०.००	३.००	नाला किनारे-किनारे	
५	खेत नम्बर ४ के उ० में	पू० उ० पू०	७३.००	२५३.००	७.२०	"	
६	खेत नम्बर ४ के उ०-पूर्व में	पू०	८७.००	२६७.००	७.८०	"	
७	खेत नम्बर ४ के उत्तर-पूर्व	पू० उ० पू०	६४.००	२४४.००	५.२०	"	
८	खेत नम्बर ४ के पूर्व में	पू०	८९.००	२६९.००	११.००	"	
९	खेत नम्बर ३९ के उत्तर नाला किनारे	द० द० पू०	१४७.२०	३२७.००	१२.६०	"	

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

वन विभाग

विविध

२३ फरवरी, १९६८ ई०

सं० २३ (३)–५३/१४–ख—६७—विज्ञप्ति संख्या २०९७/१४, दिनांक १९ मई, १९५४ द्वारा संलग्न अनुसूची "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, और अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं।

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक १ सितम्बर, १९६८ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गयी सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी ऋतुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, बराबर मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

स्थिति और क्षेत्रफल

भारौन वन ब्लाक

ज़िले का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा भूमि नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ों में
१	२	३	४	५	६
झांसी	ललितपुर	बालाबेहट	भारौन	११७	१.७५
				११९	६.६२
				१४९	०.३०
				१५३	२.९३
				१५४	०.१०
				१५६	४९.८४
				११६	५०.००
				११८	४.८२
				१२०	०.५६
				१२१	१.२७
				१२२	०.८६
				१२३	०.३६
				१२४	०.७०
				१२५	०.५१
				१२६	०.२०
				१२७	०.४४
				१२८	१.७०
				१२९	०.४०
				१३०	०.९९
				१३१	०.७६
				१३२	०.३२
				१३३	०.८१
				१३४	०.४२
				१३५	१.१०
				१४७	७३.३८
				१५०	३.००
				१५२	६६.२३
				११०	१७.९१
				१५५	०.१६
				१३६	०.८९
				१३८	१.६८
				१४१	१.५०
				१४६	०.३५
				१४४	०.२९
				१४३	०.६९
				१४२	०.४०
				१४०	०.१८
				१३९	०.८[illegible]
				१३७	०.३०
				१४५	१.३२
			योग ग्राम भारौन ..		२९६.७[illegible]

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

३० नवम्बर, १९७० ई०

सं० ७६६१/१४-ख--२०(२४२)-७०--विज्ञप्ति संख्या २०९७/१४, दिनाँक १६ मई, १९५४ तथा २३(२)-५०, १४-ख--६७, दिनाँक १४ नवम्बर, १९६७ द्वारा, संलग्न अनुसूची "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं तथा अनुसूची "ख" में दी गई सीमा तक रियायतें दी गयी हैं;

अतएव अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनाँक १८ मार्च, १९७१ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गाँवों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी ऋतुओं में उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, बराबर मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

स्थिति और क्षेत्रफल

वन ब्लाक मानिक चौक

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा भूमि नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ों में
१	२	३	४	५	६
झांसी	ललितपुर	बालाबेहट	मानिक चौक	१३	१६७.२८
				१५	३०३.६५
				१७	९६.९८
				योग ..	५६७.९१
			बिजोरी	८३	१.७७
				८४	३.६४
				८५	०.६२
				८६	१.६०
				८७	१.१९
				८८	०.६९
				८९	८५.३५
				९०	२.४७
				९१	१७.३६
				९३	१.५४
				९५	०.१३
				९७	०.९१
				ग्राम का योग ..	११७.२७
				ब्लाक का योग .	६८५.१८

छायाप्रति प्रमाणित
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
ललितपुर

सीमा वर्णन

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम कुण्डा, परगना व तहसील काशीपुर (नैनीताल)

स्तम्भ संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण — अग्रिम	पार्श्व	अगले स्तम्भ की नापी गई अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दशा	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
१	खाता सं० २६० व २५६ की मिलान सीमा पर	द०पू०पू०	१२३.४५	३०३.४५	४.७०	सीधी रेखा	
२	खाता सं० २६१ व २५६ की मिलान सीमा पर	द०प०द०	२०७.३०	२७.३०	२.७०	"	
३	खाता सं० २३१, २५८ व २५६ की मिलान सीमा पर	उ०प०प०	३०४.३०	१२४.३०	५.००	"	
४	खाता सं० २२६ व २५६ की मिलान सीमा पर	उ०पू०उ०	३१.४५	२११.४५	२.१०	"	

सं० ४६६५/१४-२—२० (५५)-७२—विज्ञप्ति संख्या २०८७/१४, दिनांक १९ मई, १९५४, २३ (२)-६८/१४-क-५७, दिनांक ९ जनवरी, १९६८ तथा सं० २३ (२)-५०/१४-क-५७, दिनांक १४ नवम्बर, १९६७ द्वारा संलग्न अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किए गए हैं तथा अनुसूची 'ख' में दी गई सीमा तक रियायतें दी गई हैं ;

अतएव, अब, उक्त उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ३० जून, १९७३ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी ऋतुओं में उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए जायें, बराबर मिलती रहेंगी :

अनुसूची 'क'

स्थिति और क्षेत्रफल

रमपुरा वन ब्लाक नं० १

जिला का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा भूमि नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ में
१	२	३	४	५	६
झांसी	ललितपुर	बालाबेहट	रमपुरा	१०	४०५.९३
				२५	७७.८२
				१२९	३१५.३०
				योग	७९९.०५

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

१	२	३	४	५	६
झाँसी	ललितपुर	जाखलौन	सिलगुवाँ	५	[illegible]
			बौरी	१	[illegible]
				१८७/१७मि०	[illegible]
				ग्राम का योग ..	[illegible]
			पलिया	१	[illegible]
				२	[illegible]
				३	[illegible]
				४	[illegible]
				५	[illegible]
				१६	[illegible]
				१७	[illegible]
				१८	[illegible]
				ग्राम का योग ..	[illegible]
			बीजरी	२२	[illegible]
				२३	[illegible]
				२४	[illegible]
				२५	[illegible]
				ग्राम का योग ..	[illegible]
			आर० क्षे० बीघा खसरा नं० १	१०९	[illegible]
				ब्लाक का योग ..	[illegible]

सरहद का विवरण

मुनारा नं०	मुनारा की स्थिति	अगले मुनारा की लगभग दिशा	निर्देश समक्ष फारवर्ड	निर्देश समक्ष बैकवर्ड	एक मुनारे से दूसरे मुनारा के बीच की लगभग दूरी (मीटरों में)	एक मुनारा से अगले मुनारा तक सरहद की आकृति	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	
१	बन्दोबस्ती मुनारा ग्राम अमझरा खेड़ा, बौरी तप्पा चांदपुर बांध सरकार की सरहद पर	पू०द०पू०	१०३.५०	२८३.५०	७.२७	सीधी लाइन	
२	खेत नं० १०९ के उत्तर	पू०	९१.००	२७१.००	१.५८	सीधी लाइन	
३	"	पू०	८६.००	२६६.००	९.१०	"	
४	"	पू०उ०पू०	७०.००	२५०.००	६.३०	"	
५	"	पू०उ०पू०	७५.००	२५५.००	९.८०	"	
६	"	पू०	९४.००	२७४.००	९.३०	"	
७	"	पू०द०पू०	११०.००	२९०.००	१२.००	"	
८	"	पू०	८२.००	२६२.००	६.७०	"	
९	खेत नं० ९ के पू०	द०पू०पू०	१५६.००	३३६.००	१.७०	"	

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

संलग्नक-4

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर।

संख्याः /आर0-एल0ए0सी0-पुनर्ग्रहण(97-98) दिनांक 12 1998

आकार पत्र-1

आदेश

शासनादेश संख्या 68/3-2(6)/1979-रा-1, दिनांक 5-9-1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उ0प्र0 जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था, अधिनियम 1950 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या -1, 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्याः 258/रा-1/16(1)-73, दिनांक 5-3-1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, नितिन रमेश गोकर्ण, जिलाधिकारी ललितपुर संलग्न सूची में अंकित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक 5-9-1986 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांवसभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवसभा/ स्थानीय प्राधिकारी	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (एकड़) में	विवरण प्रयोजन जिस के लिये भूमि ली जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	ललितपुर	तालबेहट	तालबेहट	बरर	बरर	92	0.987	ग्राम सभा वन भूमि का आरक्षित वन घोषित करने हेतु।
						43	0.093	
						57	3.015	
						58	1.923	
						79	0.206	
						78	0.174	
						80	0.466	
						81	0.218	
						82	0.380	
						93	0.462	
						94	0.530	
						95	1.133	
						96	1.489	
						97	1.497	
						99	2.367	
						98	1.238	
						100	0.227	
						101	1.295	
						18	18.000 हेक्टेयर	

आज्ञा से

(नितिन रमेश गोकर्ण)
जिलाधिकारी, ललितपुर।

संख्याः 5595 (VII) /आर0-एल0ए0सी0-पुनर्ग्रहण(97-98) दिनांक 12-5-1998

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग -1, लखनऊ।

2- सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-10 (भू0अ0) लखनऊ।

3- सचिव, उ0प्र0 शासन वन अनुभाग-3, लखनऊ।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

छायाप्रति प्रमाणित

...2....

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
तालबेहट

बन्दोबस्त

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

✓ संलग्नक -2

सं० ९२ (४)-१८४/१४-[illegible]—[illegible]—विज्ञप्ति संख्या ३४४५/१४—७९२-५३, दिनांक ४ अगस्त, १९५४ द्वारा संलग्न अनुसूची "क" [illegible] निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था; [illegible]

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं, और [illegible] "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उक्त अनुसूची "[illegible] उल्लिखित भूमि को, दिनांक १५ नवम्बर, १९६८ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनु[illegible] उल्लिखित गांवों में, अनुसूची में दी गयी सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी ऋतुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐ[illegible] [illegible] के अधीन, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, बराबर मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

स्थिति और क्षेत्रफल—थाना वन ब्लॉक

जिले का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा भूमि नं०	लगभग क्षेत्रफल
१	२	३	४	५	६
					एकड़
झांसी	ललितपुर	तालबेहट	थाना	२०	[illegible]
				२१	[illegible]
				२२	[illegible]
				२३	[illegible]
				२४	[illegible]
				२५	[illegible]
				२६	[illegible]
				२७	[illegible]
				२८	[illegible]
				२९	[illegible]
				३०	[illegible]
				३१	[illegible]
				३२	[illegible]
				३३	[illegible]
				३४	[illegible]
				३५	[illegible]
				३६	[illegible]
				३७	[illegible]
				३८	[illegible]
				३९	[illegible]
				४०	[illegible]
				११७	[illegible]
				११८	[illegible]
				११९	[illegible]
				१२०	[illegible]
				१२१	[illegible]
				१२२	[illegible]
				१२३	[illegible]
				१२६	[illegible]
				१२७	[illegible]
				१२८	[illegible]
				१२९	[illegible]
				१३०	[illegible]
				१३१	[illegible]
				१३२	[illegible]
				१३३	[illegible]
				१३४	[illegible]
				१३५	[illegible]
				१३६	[illegible]
				१३७	[illegible]
				१७२	[illegible]

वन क्षेत्राधिकारी
तालबेहट

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वनाधिकारी
तालबेहट

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

उल्लग्नक -2

	३	४	५	६
				एकड़
				१०.५८
[illegible]पुर	तालबेहट	थाना	१७३	०.५२
			१७४	०.२५
			१७५	०.४४
			१७६	१०.६६
			१७७	२.८०
			१७८	११.५०
			१७९	४.००
			१८०	१०.७६
			१८१	५.९८
			१८२	५.००
			१८४	१०.०२
			१८५	[illegible]
			१८६	[illegible]
			१८७	[illegible]
			१८८	[illegible]
			१८९	१५.०४
			१९२	[illegible]
			१९३	[illegible]
			१९४	०.३६
		योग ..		२८६.६१

सीमा का वर्णन

वन सीमा बद्ध तालिका ग्राम थाना

मुनारा की स्थिति	अगले मुनारा की लगभग दिशा	लगभग दिगंश फारवर्ड	लगभग दिगंश बैकवर्ड	एक मुनारा से अगले मुनारा के बीच की लगभग दूरी जरीबों में	एक मुनारा से अगले मुनारा तक सरहद की आकृति	विवरण
		४	५	६	७	
[illegible] मुनारा ग्राम थाना [illegible] तथा [illegible] की सीमा [illegible]	द० प०	२१७.००	३७.००	६.६०	सीधी लाइन	
	द० प० प०	१६५.००	१५.००	७.२३	"	
[illegible] मुनारा ग्राम थाना व [illegible] सरहद पर	द० प०	२२३.००	४३.००	६.५०	"	
ग्राम थाना व [illegible] की सीमा सरहद पर	द० द० प०	१६७.००	१७.००	[illegible]	"	
"	द०	१६०.००	१०.००	[illegible]	"	
"	प० द० प०	२४७.००	६७.००	३.८०	"	
"	उ० प०	३०७.००	१२७.००	[illegible]	"	
"	प० द० प०	२४२.००	६२.००	२.२०	"	
आराजीनम्बर १७८ के दक्षिण	प०	२७४.००	९४.००	४.८०	"	
आराजीनम्बर १८० के पूर्व	उ० प०	३२१.००	१४१.००	६.२०	"	
आराजीनम्बर १८० के दक्षिण	प०	२६२.००	९२.००	८.२०	"	
आराजीनम्बर १८१ के दक्षिण-पूर्व	उ० उ० प०	३३६.००	१४६.००	२.८०	"	
आराजीनम्बर १८१ के दक्षिण	[illegible]	[illegible]	[illegible]	२.८०	"	
आराजीनम्बर १८[illegible] के पश्चिम	[illegible]	[illegible]	[illegible]	६.००	"	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	
[illegible]	उ० उ० प०	२६[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	
[illegible]	उ० प०	३१५.००	[illegible]	[illegible]	"	
आराजीनम्बर १९[illegible] के पश्चिम	उ०	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	
आराजीनम्बर १९२ के पश्चिम	उ० प०	३०८.००	१२८.००	३.६०	"	
आराजीनम्बर १९३ के पश्चिम	उ० प०	३२२.००	१४२.००	२.८०	"	
आराजीनम्बर १९४ के पश्चिम	उ० उ० प०	२७.००	२०७.००	१.४०	"	
आराजीनम्बर १९४ के पश्चिम						

[illegible]

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छायाप्रति प्रमाणित
वन क्षेत्राधिकारी
तालबेहट

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वनाधिकारी
तालबेहट

संलग्नक—1

सं० २३ (३)-१६१/१४-प्र-६६—विज्ञप्ति संख्या २८८५/१४—७९२-५३, दिनांक ४ अगस्त, १९५४ द्वारा सरकार द्वारा ... निर्दिष्ट भूमि को, इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन, रक्षित वन घोषित करने का प्रस्ताव किया गया था;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है;

और ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं और अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ३० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक ३० जून, १९६७ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची ... में उल्लिखित गांवों को अनुसूची में दी गयी सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी वस्तुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में ... नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, बराबर मिलती रहेंगी।

अनुसूची 'क'

जिला ... और क्षेत्रफल

दौलता वन खण्ड (Talbehat Range)

जिले का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ में
	ललितपुर	तालबेहट	दौलता	४३३	०.१०
				४३४	०.०९
				४३५	०.०८
				४३६	०.११
				४३७	१.४४
				४३८	४.६६
				४३९	४.५०
				४४०	०.६१
				४४१	२.८४
				४४२	०.७२
				४४३	०.०७
				४४४	१.७६
				४४५	०.२८
				४४६	०.४८
				४४७	२.०५
				४४८	०.२०
				४४९	०.४०
				४५०	०.०७
				४५१	०.०७
				४५२	१.३४
				४५४	०.६५
				४५५	१.१५
				४५६	३.६१
				४५७	१.१८
				४५८	०.५९
				४६०	०.४०
				४६१	१.१६
				४६२	०.३०
				४६३	१.३२
				३२१	१.९८
				३२२	२.०५
				३२३	०.१५
				३२४	४.०८
				३२५	५.३२
				ग्राम का योग	४१.७१

छायाप्रति प्रमाणित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
तालबेहट

छायाप्रति प्रमाणित

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

क्षेत्रीय वनाधिकारी
तालबेहट

मुनारा संख्या

१	पश्चोत्तर ...
२	दौलता
३	आराजी
४	आराजी
५	आराजी
६	आराजी
७	
८	आराजी
९	आराजी
१०	आराजी
११	आराजी
१२	आराजी
१३	
१४	आराजी
१५	आराजी
१६	आराजी
१७	आराजी
१८	आराजी
१९	आराजी
२०	आराजी
२१	आराजी
२२	आराजी
२३	आराजी
२४	आराजी
२५	आराजी
२६	आराजी
२७	आराजी
२८	ग्राम दौ...
२९	
३०	
३१	
३२	
३३	
३४	
३५	

Head Post

कार्यालय उपमहाप्रबंधक दूरसंचार, परियोजना
आवक/जावक क्रम सं० 256
दिनांक 6.6.88
भारत संचार निगम लिमिटेड

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० [illegible]-एस-डी/३६-ए—१२१६ (एस-डी)-५१—उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक १ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ [illegible] पर प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या ६०१४ (एस-एम)/३६-ए—१२१६ (एस-एम)-५८, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में [illegible] "सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर" पढ़िये।

आज्ञा से,
[illegible],
सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० ११९५/१४—२३१-४०—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा ३१ की उपधारा (२) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच [illegible] सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है,

अतएव उपर्युक्त उपधारा की अधिकारों द्वारा और उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) [illegible] प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख [illegible] उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, फर्लांग और फीटों में	विवरण
मेरठ सीर	१—मेरठ—[illegible] रोड	१ मील से १० मील १ फ०	[illegible] की [illegible] पत्थरों द्वारा [illegible] की गई है।
	२—बागपत—सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३—बागपत—लोनी—शाहदरा	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४—मेरठ—मुवाना	२ मील से १७ मील	"
	५—मेरठ—बुलन्दशहर	२ मील से २१ मील तक	"
	६—जी० आर० एस० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७—जी० टी० रोड	८०० मील से ८०३ मील	"
	८—[illegible]—[illegible]	१ मील से ६ मील	"
	९—मुरादनगर रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०—मोदीनगर—रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११—मोदीनगर—रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२—मेरठ—[illegible] रोड	२.४३६ से १२.५.३२०	"
	१३—[illegible]—[illegible] रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४—बुलन्दशहर—[illegible] रोड	२३ मील से ३१ मील २ फ० २०० फीट तक	"
	१५—[illegible]—[illegible]	१ से ९ मील	"
	१६—मेरठ—[illegible] रोड	२३ मील से ३१ मील २ फ० २०० फीट तक	"
	१७—नेशनल हाईवेज सं० २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८—जी० टी० रोड—गाजीपुर [illegible] उत्तर प्रदेश बार्डर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ६० फीट तक	"
	१९—गाजीपुर—हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०—हापुर गढ़ रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ६० फीट तक	"
मुजफ्फरनगर	१—जी० आर० एस० रोड	५६ मील से ६१ मील	"
	२—[illegible]—[illegible]—जिला १—बिजनौर	२४ मील ६ फ० से २ मील २१ फीट तक	"
	३—मुजफ्फरनगर—शामली—[illegible]	२ मील से ३१ मील	"
	४—मुजफ्फरनगर—सहारनपुर	७७ मील से ९० मील	"
	५—मुजफ्फरनगर—बिजनौर	७३ मील से ३१ मील तक	"
	६—[illegible]—[illegible]	शून्य से ६ मील तक	"
	७—मुजफ्फरनगर—[illegible]	४ मील तक	"
	८—मुजफ्फरनगर—बागपत—सहारनपुर रोड	२४ मील से ४६ मील २ फ० तक	"

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
तालबेहट

सलग्नक - 5(i)(51)

उत्तर प्रदेश गजट, २० फरवरी, १९६० ई० (फाल्गुन १, १८८१ शक संवत्)

	नाम सड़क	पूरी लंबाई, फर्लांग और फीट में	विवरण
७—अलीगढ़	१—अलीगढ़—अतरौली रोड	२ मील से १७ मील तक	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गयी है।
	२—अतरौली—रामघाट		
	३—अलीगढ़—कासीपुर	१८ मी० से ४४३, १/८ मी० तक	"
	४—अलीगढ़—अनूपशहर	१ मी० से ५, १/४ मी० तक	"
	५—अलीगढ़—टप्पल रोड	१ मी० से १२ मी० तक	"
	६—जी० टी० रोड	१ मी० से १२ मी० तक	"
	७—आगरा—अलीगढ़	७७० मी० से ८१८ मी० तक	"
	८—गोमट—मजाना रोड	४४ मी० से ५२ १/२ मी० तक	"
	९—अलीगढ़—सोता फीडर	१ मी० से ५ मी० तक	"
	१०—यमुना रेलवे फीडर रोड	शुरू से १ मी० ८० फीट तक	"
	११—मथुरा बयाने रोड	शुरू से २ फ० ३५२ फीट तक	"
	१२—बरेली—मथुरा रोड	१ मी० से २० मील तक	"
	१३—सिकन्दरा राव रेलवे फीडर रोड	७६ मी० से ११३ मी० तक	"
	१४—हाथरस—इगलास रोड	शुरू से १ फ० ४२० फीट तक	"
	१५—अलीगढ़—राया रोड	१ मी० से १० मी० तक	"
	१६—हाथरस—जंक्शन फीडर रोड	२ मी० से २५ मी० तक	"
		शुरू से १ फ० ११० फीट तक	"
८—बुलन्दशहर	१—ग्रैंड ट्रंक रोड		
	२—मेरठ—बुलन्दशहर	८१८ मी० से ८७० मी० तक	"
	३—स्याना—रेलवे फीडर	२९—०—० से ४३—१—६० तक	"
	४—सिकन्दराबाद—वैरपुर रेलवे फीडर रोड	०—०—० से २—४—२४१ तक	"
	[illegible] रोड	०—०—० से ४—१—५३४ तक	"
	६—खुर्जा—जेवर रोड	०—०—० से ५—७—२०० तक	"
		२—१—२२० से ३२—२—२४१ तक	"
९—झांसी	१—लखनऊ—झांसी रोड ए० एच० रूट नं० २५	मी० १४८ से १८८ मी० तक	"
	२—झांसी—शिवपुर रोड ए० एच० रूट नं० २५	० से ३१—३—२२८	"
	३—झांसी—आगरा रोड	० से ११—३—०	"
	४—झांसी—हरपालपुर रोड	२ से ४१ मील	"
	५—लखनऊ—समोरी रोड	० से ४१—४—४१०	"
	६—[illegible]—समोरी रोड	०—४—० से ३—२—०	"
	७—[illegible] रेलवे फीडर रोड	० मील से ०—२—७०७	"
	८—[illegible] स्टेशन रेलवे फीडर रोड	० से ०—३—३५०	"
	९—[illegible] रोड	० मी० ४ फ० ३१८ फीट से [illegible] फीट से २० मील तक	"
	ललितपुर सेक्शन		
	१०—झांसी—सागर रोड	१ मी० से ८९ मी० तक	
	११—[illegible]—ट्रंक रोड	१ मी० से ५ मी० तक	"
	१२—[illegible] स्टेशन फीडर रोड	१ मील तक	"
	१३—[illegible]	१ मी० से २६ मी० तक	"
	१४—ललितपुर—महरौनी रोड	४ मी० से २७ मी० तक	"
	१५—[illegible] रोड	१ मी० से ११—२—०	"
	१६—[illegible] रोड	१—०—० से ९—२—२२०	"
१०—जालौन	१—[illegible] रोड	१ मी० से २ मी० तक	
	२—[illegible] से झांसी रोड	२७ मी० से १४७ मी० तक	
	३—उरई—[illegible] रोड	१ मी० से ३५ मी० तक	
	४—हमीरपुर—कालपी रोड	१ मी० से ११ मी० तक	
	५—उरई—[illegible] रोड	१ मी० से ३५ मी० तक	

Reliance Jio Infocomm

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
तालबेहट

प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है—टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत जनपद टेहरी व उत्तर-काशी के वन विभाग की ली गई भूमि के एवज में आरक्षित वन सृजित करने हेतु।

सं० 184/आठ–भू० अ० लि०–पुनर्ग्रहण (86–87)—शासनादेश संख्या 68 (3)/3–2 (6)–1979–रा–1, दिनांक 1 जुलाई, 1983 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/रा0–1–16 (1)–73, दिनांक 5 मार्च, 1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं, प्रेम नारायण, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 1 जुलाई, 1983 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित गांव समाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

जिला—ललितपुर, तहसील—तालबेहट, परगना—तालबेहट

गांव	गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल
			एकड़
सोंरई	सोंरई	731	13.63
		732/1	1.64
		732/2	14.00
		733	28.23
		734	39.05
		योग ..	96.57

क्षेत्रीय वन अधिकारी जखौरा

सं० 185/आठ–भू० अ० लि०–पुनर्ग्रहण (86–87)—शासनादेश संख्या 68(3)/3–2(6)–1979–रा0–1, दिनांक 1 जुलाई, 1983 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/रा0–1/16(1)–73, दिनांक 5 मार्च, 1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुये मैं प्रेम नारायण, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 1 जुलाई, 1983 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित गांव समाओं/स्थानीय-प्राधिकारियों में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में

सत्यापित प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

अनुसूची

जिला—ललितपुर, परगना—बांसी, तहसील—तालबेहट, गांव—बुड़ेरो

गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल
		एकड़
बुड़ेरो	27मि0	11.22
	167/2	33.15
	972मि0	12.01
	182मि0	6.60
	410मि0	33.22
	415/6	84.43
	448मि0	30.00
	455मि0	6.01
	459/3	54.44
	115/2	14.04
	योग ..	305.13

विवरण प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है—टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत जनपद टेहरी व उत्तर काशी के वन विभाग की ली गई भूमि के एवज में आरक्षित वन सृजित करने हेतु।

सं० 186/आठ–भू० अ० लि०–पुनर्ग्रहण (86–87)—शासनादेश संख्या 68 (3)/3–2 (6)–1979–रा–1, दिनांक 1 जुलाई, 1983 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 258/रा0–1–16 (1)–73, दिनांक 5 मार्च, 1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, प्रेम नारायण, जिलाधिकारी, ललितपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 1 जुलाई, 1983 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित गांव समाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूं :

अनुसूची

जिला—ललितपुर, तहसील—तालबेहट, परगना—तालबेहट

गांव	गांव सभा/ स्थानीय प्राधिकारी	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल
			एकड़
जमालपुर	जमालपुर	1465/5	46.34

प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है—टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत जनपद टेहरी व उत्तरकाशी के वन विभाग की ली गई भूमि के एवज में आरक्षित वन सृजित करने हेतु।

१	२	३	४	५	६	७	८
३	बन्दोबस्ती मुनारा नाला किनारे रिजर्व जंगल बालाबेहट व पश्चिमी भाग का बाउन्डरी लाइन व खेत नं १२० के पू०	ब० पू०	१३३.००	३१३.००	७.२५	सीधी लाइन	
४	बन्दोबस्ती मुनारा खेत नं १२० के पू०	प०	२६२.००	८२.००	८.२५	"	
५	खेत नं १२० के बीच	"	२६२.००	८२.००	८.००	"	
६	"	"	२६२.००	८२.००	७.८०	"	
७	"	"	२६२.००	८२.००	६.००	"	
८	खेत नं १२० के बीच व खेत नं० १०४ के उ०	उ० उ० प०	३३२.००	१५२.००	६.५०	"	
९	खेत नं० १०५ के पू० में	"	३३०.००	१५०.००	६.००	"	
१०	खेत नं० १२० के प० में	"	३३०.००	१५०.००	६.५०	"	
११	" कोने पर	उ०	३५०.००	१७०.००	५.५०	"	
१२	खेत नं० ८० के मध्य	पू० उ० पू०	७०.००	२५०.००	६.००	"	
१३	"	"	७०.००	२५०.००	८.५०	"	
१४	खेत नं० ८० के मध्य	पू० उ० पू०	७०.००	२५०.००	८.२०	"	सीमान्त

५ जनवरी, १९७२ ई०

सं० १०३९४/१४-ख—२० (२५०)-७१—विज्ञप्ति संख्या ४४४३/१४—७६०-५४, दिनांक ६ सितम्बर, १९५४ तथ ३४४५/१४—७९२-५३, दिनांक ४ अगस्त, १९५४ द्वारा अधोलिखित अनुसूची "क" में निर्दिष्ट भूमि को, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है ;

और, ऐसे दावे स्वीकार किये गये हैं तथा अनुसूची "ख" में दी गई सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, अब, उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि को, दिनांक १५ जुलाई, १९७२ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची "ख" में उल्लिखित गांवों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी ऋतुओं में, उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किये जायें, बराबर मिलती रहेंगी :

अनुसूची "क"

स्थिति और क्षेत्रफल

बुधेड़ी वन ब्लाक नं० १

जिला का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा भूमि नं०	क्षेत्रफल एकड़
१	२	३	४	५	६
झांसी	ललितपुर	तालबेहट	बुधेड़ी	२१५	०.८१
				२१६	०.४६
				२१७	०.३१
				२१८	०.५
				२१९	१७.२
				२२०	१.१
				२२१	०.१
				२२२	०.७

छायाप्रति प्रमाणित

प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जखौरा

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

१७६

पेज नं०
२२, २३, २४
२५

2742748
2742742
2741334
7347348
734350
350 351
350 -51
351 -65
586 67
07 08
09
18
20

सीमा वर्णन

वन सीमाबद्ध तालिका ग्राम [illegible], परगना व तहसील बालाबेहट (ललितपुर)

क्रमांक संख्या	स्तम्भ की स्थिति	अगले स्तम्भ की अनुमानित दिशा	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण		अगले स्तम्भ की नापी गई अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दशा	विशेष विवरण
			[illegible]	[illegible]			
१	२	३	४	५	६	७	८
१	खाता सं० २६० व २६६ की मिलान सीमा पर	उ०पू०पू०	१२१.४५	१०१.४५	४.७०	सीधी रेखा	
२	खाता सं० २६१ व २६६ की मिलान सीमा पर	द०प०उ०	२०७.३०	२७.३०	९.७०	"	
३	खाता सं० २६१, २६८ व २६६ की मिलान सीमा पर	उ०प०उ०	३०४.३०	१२४.३०	६.००	"	
४	खाता सं० २२६ व २६६ की मिलान सीमा पर	उ०पू०उ०	३१.४५	२११.४५	९.१०	"	

सं० ४११४/१४-२—२०(६६)—७२—विज्ञप्ति संख्या २०६०/१४, दिनांक १९ मई, १९६४, २१(२)–६६/१४-क-७७, दिनांक ६ जनवरी, १९६८ तथा सं० २१(२)–६०/१४-क-७७, दिनांक १४ नवम्बर, १९६७ द्वारा संलग्न अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट संख्या १६, १९२७) के अधीन रक्षित वन बनाने का विनिश्चय किया गया था;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को अवधृत करने के लिए उक्त ऐक्ट द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है;

और, ऐसे दावे स्वीकार किए गए हैं तथा अनुसूची 'ख' में दी गई सीमा तक रियायतें दी गई हैं;

अतएव, अब, उक्त उपर्युक्त ऐक्ट की धारा २० के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को, दिनांक १० जून, १९७६ से रक्षित वन घोषित करते हैं और यह भी विज्ञापित करते हैं कि उक्त अनुसूची 'ख' में उल्लिखित दावों को, अनुसूची में दी गई सीमा तक अधिकार और रियायतें, ऐसी अनुसूची में उक्त वनों के ऐसे भागों में और ऐसे नियमों के अधीन जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत किए जायें, बराबर मिलती रहेंगी।

अनुसूची 'क',

स्थिति और क्षेत्रफल,

रमपुरा वन ब्लाक सं० १

जिला का नाम	तहसील का नाम	परगना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा भूमि नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ में
१	२	३	४	५	६
[illegible]	ललितपुर	बालाबेहट	रमपुरा	१० २९ १२६	४०५.९३ ७७.८२ ११९.३०
				योग	[illegible]

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Lalitpur

Scanned by CamScanner

१	२	३	४	५	६
झांसी	ललितपुर	बालाबेहट	सिलगुवां	५	१८९.
			बौरी	१	३५१.
				१८७/१सी०	४४४.
				ग्राम का योग ..	७९७.
			बलिया	१	३३९.
				२	०.
				३	८४.
				४	०.
				५	३३१.
				१६	५९.
				१७	१७५.
				१८	३३९.
				ग्राम का योग ..	९८९.
			बौबरी	११	८४०.
				२३	३४०.
				२४	३३५.
				२५	१
				ग्राम का योग ..	१,८८८
			आर० क्ष० बीहड़ कटा नं० १	१०९	२१
				खण्ड का योग ..	४५५६

रकबा का विवरण

मुनारा नं०	मुनारा की स्थिति	अगले मुनारा की लगभग दिशा	निर्देश कालम: कारटई	निर्देश कालम: बेअर्ड	एक मुनारे से दूसरे मुनारे के बीच की लगभग दूरी (चैनों में)	एक मुनारा से अगले मुनारा तक रकबा की आकृति	[illegible]
१	२	३	४	५	६	७	
१	कंकोबाली मुनारा ग्राम अगड़ा खेड़ा, बौरी तथा कांसपुर कांस सरकार की सरहद पर	पू०द०पू०	१०३.५०	१८३.५०	७.२७	सीधी लाइन	
२	खेत नं० १०९ के उत्तर	पू०	९१.००	२७१.००	१.९८	सीधी लाइन	
३	"	पू०	८६.००	२६६.००	५.१०	"	
४	"	पू०द०पू०	७०.००	२५०.००	६.३०	"	
५	"	पू०द०पू०	७५.००	२५५.००	९.८०	"	
६	"	पू०	९४.००	२७४.००	९.३०	"	
७	"	पू०द०पू०	११०.००	२९०.००	१९.००	"	
८	"	पू०	८२.००	२६२.००	६.७०	"	
९	खेत नं० ९ के पू०	द०पू०पू०	१५५.००	३३५.००	१.७०	"	

छायाप्रति प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

छाया प्रति सत्यापित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
ललितपुर

Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Lalitpur

Scanned by CamScanner

Hand Post

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण जल निगम, ललितपुर
आवक संख्या 256
दिनांक [illegible]

उत्तर प्रदेश [illegible] जनवरी, १९९० ई० ([illegible] शक संवत्)

शुद्धि-पत्र

११ जनवरी, १९९० ई०

सं० [illegible]—उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक [illegible] जनवरी, १९९० ई० [illegible] प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या [illegible] दिनांक [illegible] जनवरी, १९९० ई० में [illegible] "[illegible]" के स्थान पर शब्द "[illegible]" पढ़ें।

आज्ञा से,
[illegible],
सचिव।

वन विभाग

विज्ञप्ति

[illegible] जनवरी, १९९० ई०

सं० [illegible]—उत्तर प्रदेश [illegible] के राज्यपाल महोदय का मत है कि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा ३२ की उपधारा (२) के अधीन [illegible] सरकार के अधिकारी को [illegible]।

अतएव उपर्युक्त उपधारा के [illegible] ऐक्ट की धारा [illegible] के साथ पठित [illegible] (१, [illegible] अधिकारी का [illegible] आदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि [illegible] उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के [illegible] अनुसूची में [illegible] भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	[illegible]	विवरण
[illegible]	१—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	२—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	३—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	४—[illegible]	३ मील से २० मील	[illegible]
	५—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	६—बी० आर० एस० रोड	[illegible]	[illegible]
	७—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	८—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	९—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१०—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	११—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१२—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१३—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१४—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१५—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१६—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१७—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१८—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	१९—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	२०—[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	१—बी० आर० एस० रोड	[illegible]	[illegible]
	२—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	३—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	४—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	५—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	६—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	७—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	८—[illegible]	[illegible]	[illegible]
	९—[illegible]	[illegible]	[illegible]

8

छायाप्रति प्रमाणित

Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Lalitpur

छायाप्रति प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
तालबेहट

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

Scanned by CamScanner

सत्यापित - ६(i)(५१)

उत्तर प्रदेश गजट, [illegible] फरवरी, १९६० ई० (फाल्गुन [illegible], १८८१ शक संवत्)

	मार्ग संख्या	दूरी मील, फर्लांग और फीट में	विवरण
७—अलीगढ़	१—अलीगढ़–[illegible] रोड	३ मील से १७ मील तक	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गयी है।
	२—[illegible]		
	३—अलीगढ़–[illegible]	१८ मील से ४२, १/८ मील तक	"
	४—अलीगढ़–[illegible]	३ मील से ५ १/२ मील तक	"
	५—अलीगढ़–[illegible] रोड	३ मील से १३ मील तक	"
	६—[illegible] रोड	१ मील से ३३ मील तक	"
	७—[illegible]–अलीगढ़	४७० मील से ४१८ मील तक	"
	८—[illegible] रोड	४४ मील से ५२ १/२ मील तक	"
	९—अलीगढ़–[illegible]	१ मील से ५ मील तक	"
	१०—[illegible] रेलवे फीडर रोड	शुरू से १ मी० ८० फीट तक	"
	११—[illegible] रोड	शुरू से १ फ० ६६६ फीट तक	"
	१२—[illegible] रोड	१ मील से १० मील तक	"
	१३—[illegible] रेलवे [illegible] रोड	[illegible] मील से ११३ मील तक	"
	१४—हाथरस–[illegible] रोड	शुरू से १ फ० ४२० फीट तक	"
	१५—अलीगढ़–[illegible] रोड	१ मील से १० मील तक	"
	१६—हाथरस–[illegible] रोड	५ मील से १७ मील तक	"
		शुरू से १ फ० ६१० फीट तक	"
८—बुलन्दशहर	१—[illegible] रोड		
	२—[illegible]–बुलन्दशहर	४१८ मील से ४७० मील तक	"
	३—[illegible] रेलवे फीडर	[illegible] से [illegible] तक	"
	४—[illegible] रेलवे फीडर रोड	[illegible] से [illegible] तक	"
	५—[illegible] रोड	[illegible] से [illegible] तक	"
	६—[illegible] रोड	[illegible] से [illegible] तक	"
		[illegible] से [illegible] तक	"
९—झांसी	१—[illegible]–झांसी रोड [illegible]	मील १४८ से १८८ मील तक	"
	२—झांसी–[illegible] रोड [illegible]	० से ११–२–२१८	"
	३—झांसी–[illegible] रोड	० से ११–२–०	"
	४—झांसी–[illegible] रोड	५ से ३१ मील	"
	५—[illegible] रोड	० से [illegible]	"
	६—[illegible] रोड	[illegible]	"
	७—[illegible] रेलवे फीडर रोड	० मील से [illegible]	"
	८—[illegible] रेलवे फीडर रोड	० से [illegible]	"
	९—[illegible] रोड	० मील [illegible] मील तक	"
	ललितपुर [illegible]		
	१०—झांसी–[illegible] रोड	१ मील से ८२ मील तक	
	११—[illegible] रोड	१ मील से ५ मील तक	"
	१२—[illegible] फीडर रोड	१ मील तक	"
	१३—[illegible]	१ मील से ३६ मील तक	"
	१४—ललितपुर–[illegible] रोड	४ मील से [illegible]	"
	१५—[illegible] रोड	१ मील से ११–२–०	"
	१६—[illegible] रोड	१–०–० से [illegible]	"
१०—[illegible]	१—[illegible] रोड	१ मील से ५ मील तक	
	२—[illegible] झांसी रोड	[illegible] मील से १४७ मील तक	
	३—[illegible] रोड	१ मील से ३५ मील तक	
	४—[illegible]–[illegible] रोड	१ मील से ३३ मील तक	
	५—[illegible] रोड	१ मील से ३५ मील तक	

छायाप्रति प्रमाणित

यथा प्रति प्रमाणित

Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Rural)
Lalitpur

क्षेत्रीय वनाधिकारी
तालबेहट

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

Scanned by CamScanner